

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.11.2022

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-राकेश कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राकेश कुमार चौबे पुत्र स्व० राजाराम निवासी गिलौली थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 373/2022 धारा 363,366,376,342 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० चन्द्रशेखर प्रकाश सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस - नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.11.2022

जान से मारने की नियत से सुतली बम, लाठी डण्डे व असलहे से हमला करने वाले 10 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 01.11.2022 को ग्राम खिरौरामोहन थाना कोतवाली देहात गोण्डा में पुरानी रंजिश व राजस्व टीम की पैमाइश से नाराज होकर ग्राम प्रधान खिरौरा मोहन व उसके सहयोगियों द्वारा विपक्षी सुभाष चन्द्र शुक्ला के घर पर सुतली बम व लाठी डण्डे व असलहे से हमला कर दिया। जिसमें सुभाष चन्द्र शुक्ला व मनोज कुमार उपाध्याय, नीरज उपाध्याय को चोटें आयी है। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 516/2022 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर 10 लोगों की गिरफ्तारी की गयी है जिनको जेल भेजा जा रहा है। चूंकि मौके पर सुतली बम के अवशेष मिले है बाद परीक्षण विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की बढ़ोतरी की जायेगी।

नाम व पता अभियुक्तगण-

01. विशाल मिश्रा पुत्र राम किशुन मिश्रा निवासी खिरौरामोहन मौजा नरौराअर्जुन थाना को0 देहात गोण्डा।
02. विकाश मिश्रा पुत्र राम किशुन मिश्रा निवासी खिरौरामोहन मौजा नरौराअर्जुन थाना को0 देहात गोण्डा।
03. मोनू उर्फ विनोद कुमार मिश्रा पुत्र राम केवल निवासी खिरौरामोहन मौजा नरौराअर्जुन थाना को0 देहात गोण्डा।
04. कपूरे उर्फ राज कपूर पुत्र सरजू प्रसाद निवासी खिरौरामोहन मौजा नरौराअर्जुन थाना को0 देहात गोण्डा।
05. भुलू पुत्र जगदीश निवासी खिरौरामोहन मौजा नरौराअर्जुन थाना को0 देहात गोण्डा।
06. अरून कुमार मिश्रा पुत्र कौशल प्रसाद निवासी खिरौरामोहन मौजा नरौराअर्जुन थाना को0 देहात गोण्डा।
07. रामकेवल मिश्रा पुत्र लालता प्रसाद निवासी खिरौरामोहन मौजा नरौराअर्जुन थाना को0 देहात गोण्डा।
08. अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र राम केवल निवासी खिरौरामोहन मौजा नरौराअर्जुन थाना को0 देहात गोण्डा।
09. आशुतोष तिवारी पुत्र प्रदीप तिवारी निवासी खिरौरामोहन मौजा नरौराअर्जुन थाना को0 देहात गोण्डा।
10. संजीत पुत्र राम उजागर निवासी खिरौरामोहन मौजा नरौराअर्जुन थाना को0 देहात गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 516/2022 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि कोतवाली देहात गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता

अति0 प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय मय टीम थाना कोतवाली देहात गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.11.2022

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रय-विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त इकबाल उर्फ चुन्नन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इकबाल उर्फ चुन्नन पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद निवासी जोलाहनपुरवा असरना थाना कटराबाजार गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 454/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अभिषेक मिश्रा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.11.2022

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-जितेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कौडिया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना कौडिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. जितेंद्र पासवान पुत्र शिव नारायण पासवान निवासी कटौली थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 161/2022 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० सुरेश कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.11.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त प्रीतम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.184 किलोग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. प्रीतम पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्रा0 डेलईपुरवा मौजा असरना थाना कटराबाजार, जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-455/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 1.184 किलो ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 अभिषेक मिश्रा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.11.2022

जान मारने की नियत पुलिस पर हमला कर सरकारी काम में बाधा डालने के 05 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

दिनांक 01.11.2022 को ग्राम कैथौली थाना कोतवाली कर्नलगंज गोंडा के मुन्नालाल पुत्र राजाराम निवासी उपरोक्त द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद छत डालने हेतु शटरिंग लगवाई जा रही थी जिस पर प्रतिवादी दृगपाल द्वारा उन्हें रोका गया तो मुन्ना लाल व उसके सहयोगियों द्वारा दृगपाल के साथ मारपीट की गई तथा बचाने आये गांव के निवासियों को भी दौड़ लिये जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया सूचना पर थाना कर्नलगंज का पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो अभियुक्तगण एक राय होकर जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर हमला कर दिये जिसे कई पुलिस कर्मी घालय हो गये पुलिस बल द्वारा आवश्यक बल प्रयोग किया करते हुए मौके 01. जयप्रकाश पुत्र मुन्नालाल 02. सूरज यादव पुत्र मुन्नालाल 03. राहुल गौतम पुत्र नन्दलाल 4. प्रदीप कुमार यादव पुत्र मंगलप्रसाद 05. श्यामपती पुत्री मुन्नालाल को मौके से पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 5026/2022 धारा 147, 148, 149, 323, 327, 352, 452, 504, 506 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0 527/2022 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 336, 327, 353, 436, 504, 506 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. जयप्रकाश पुत्र मुन्नालाल निवासी कैथौली अहिरनपुरवा थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. सूरज यादव पुत्र मुन्नालाल निवासी कैथौली अहिरनपुरवा थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
03. राहुल गौतम पुत्र नन्दलाल निवासी कैथौली अहिरनपुरवा थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
04. प्रदीप कुमार यादव पुत्र मंगलप्रसाद निवासी बदरौली थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।
05. श्यामपती पुत्री मुन्नालाल निवासी कैथौली अहिरनपुरवा थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 उमेश सिंह